


1

189



श्री निगराजी/बालाघाट/भू. र/2018/1866

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प जबलपुर म.प्र.

~~श्री निगराजी/बालाघाट/भू. र/2018/1866~~  
राजस्व पुनरीक्षण प्र.क. /2018

520

पुनरीक्षणकर्ता:-

शांति बाई पति बीजू उम्र 55 वर्ष निवासी  
ग्राम सुकडी तहसील परसवाडा  
जिला-बालाघाट म.प्र.

विरुद्ध

अनावेदकगण:-

- 1-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैहर जिला-बालाघाट
- 2- तहसीलदार परसवाडा जिला-बालाघाट
- 3- अपर कलेक्टर बैहर, जिला-बालाघाट

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता अपर कलेक्टर बैहर जिला बालाघाट के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/अ-19/वर्ष 2014-15 आदेश दिनांक 28/7/2017 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:-

पुनरीक्षणकर्ता निवेदन करता है कि :-


पुनरीक्षण के तथ्य

1- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 18/8/2001 को न्यायालय नायाव तहसीलदार परसवाडा द्वारा प्रकरण क्रमांक-52-अ-19/2000-2001 के तहत ग्राम पंचायत सुकडी में कृषि प्रयोजन हेतु खसरा नं 42/1 में रकवा 3.35 हे. भूमि भूमिस्वामी अधिकारों के तहत पटटे में आवंटित की गयी थी । उक्त भूमि पर वह विगत 25 वर्षों से काबिज होकर खेती कर अपने परिवार की जीविका चला रही है । पटटे की प्रति संलग्न है प्रदर्श पी-1

2- यह कि, अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण याचिका न्यायालय अपर कलेक्टर बालाघाट के

श्री. श्री. अ. अ. वि. श्री.  
अधिवक्ता  
प्रस्तुतकार 2482  
106 FEB 2018  
कार्यालय कलेक्टर


- 4 FEB 2018



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/बालाघाट/भू.रा./2018/1866

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शशांक त्रिवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u></p>	